झारखण्ड सरकार

कार्यालय
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार

पत्रांक लातेहार/ दिनांक 12/01/2006

प्रेषक,

कमल किशोर सोन, भा.प्र.से.
उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लातेहार जिला/सभी अंचल पदाधिकारी, लातेहार जिला।

विषयः -लातेहार जिला में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम अकुशल श्रम हेतु इच्छुक श्रमिकों से निबंधन हेतु आवश्यक निदेश के संबंध में।

महाशय,

आपको विदित है कि लातेहार जिला के सभी ग्रामों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के तहत व अन्य विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत योजनाओं के चयन हेतु प्रत्येक राजस्व ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है।

आपको यह भी विदित है कि ग्राम सभा में ही ग्राम के सभी अकुशल श्रम हेतु इच्छुक श्रमिकों से निबंधन हेतु आवेदन प्राप्त किया जायेगा, जिसके आधार पर उन्हें रोजगार गारंटी कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा और इसके आधार पर ही सभी निबंधित श्रमिकों को भविष्य में रोजगार गारंटी की सुविधा प्राप्त होगी। पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र सरकारी पर्यवेक्षक द्वारा ग्राम सभा के दौरान ही निशुल्क रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

चूंकि आवेदन पत्र में आवेदक का फोटो लगाया जाना आवश्यक है, अतः आवेदक द्वारा पूर्ण रूपेण आवेदन तत्काल जमा करने में कठिनाई हो सकती है।

चूंकि उत्तर साक्षरता अभियान के अंतर्गत गृह सर्वेक्षण हेतु दिनांक 05/02/2006 की तिथि निर्धारित की गई है, अतः इसी निर्धारित तिथि 05/02/2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अंतर्गत निबंधन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये आवेदन को पूर्ण रुपेण भरने के पश्चात एकत्रित किया जाना युक्तिसंगत होगा। साथ ही सर्वेक्षणकर्ताओं को रोजगार प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्रतियां भी उपलब्ध कराये जाने से किसी प्रकार से छूटे हुए व्यक्तियों को आवेदन पत्र उसी समय उपलब्ध कराया जा सकता है।

इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए व्यापक प्रचार प्रसार कराना भी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

कमल किशोर सोन
उपायुक्त सह अध्यक्ष, जि0ग्रा0वि0अ0, लातेहार।